

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान” (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जो. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 05]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025—माघ 11, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 दिसम्बर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अमित कटारिया, भा.प्र.से. (2004), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अमित कटारिया द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जनवरी 2025

क्रमांक एफ 20-72/2011/11/6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-12-2011 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

1. शीर्ष “सहायक पंजीयक, फॉर्म एवं संस्थाएँ के स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया” के अंतर्गत सारणी के,
 - (1) सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 में शब्द-समूह “छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.” के स्थान पर शब्द-समूह “छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन” एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह “30 कार्य दिवस” के स्थान पर शब्द-समूह “15 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

एवं

- (2) सरल क्रमांक 2 के कॉलम 4 में शब्द-समूह “भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही” के स्थान पर शब्द-समूह “भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन” एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह “15 कार्य दिवस” के स्थान पर शब्द-समूह “07 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. शीर्ष “पंजीयक, फॉर्म एवं संस्थाएँ स्तर पर प्राप्त आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया” के अंतर्गत सारणी के,

1. सरल क्रमांक 1 के कॉलम 3 में शब्द-समूह “छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सेशो. 1998) की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही.” के स्थान पर शब्द-समूह “छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अधीन समिति, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, महिला स्व-सहायता समूह के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन” एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह “30 कार्य दिवस” के स्थान पर “15 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

एवं

2. सरल क्रमांक 2 के कॉलम 4 में शब्द-समूह “भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन प्रस्ताव पर कार्यवाही” के स्थान पर शब्द-समूह “भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अधीन भागीदारी फर्मों के पंजीयन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन” एवं कॉलम 4 में शब्द-समूह “15 कार्य दिवस” के स्थान पर शब्द-समूह “07 कार्य दिवस” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.